भ्रष्टाचार की लड़ाई से जुड़े मुद्दे

लेखक - आर.के राघवन (पूर्व सीबीआई निदेशक)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (शासन व्यवस्था)

द हिन्दू

4 अप्रैल, 2019

"यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि लोकपाल, केंद्रीय सतर्कता आयोग और सीबीआई एक दूसरे के साथ कैसे समन्वय स्थापित करते हैं।"

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 काफी जटिल है। इसे उस वक्त इसलिए नहीं टाला गया, क्योंकि उस वक्त ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह प्रयास भ्रष्टाचार विरोधी अभियान को गुमनामी से बाहर निकालने का एक नया और साहसिक प्रयोग है। देश को इस कानून की बहुत अधिक जरूरत थी और भारत को यह भी सिद्ध करना था कि देश अपने सार्वजनिक प्रशासन को स्वच्छ और निष्पक्ष बनाने में किसी भी अन्य देश से पीछे नहीं है।

हैरानी की बात है कि भारत के पहले लोकपाल की नियुक्ति उत्साह के साथ नहीं हुई। अधिनियम से प्रभावित होने की संभावना वाले सभी लोग आम चुनावों में व्यस्त हैं और शायद यही उदासीनता का कारण हो सकता है। फिर भी, इस अधिनियम का आने वाले महीनों में राजनीति और कानूनी बिरादरी दोनों द्वारा बारीकी से पालन करने की उम्मीद की जा सकती है, जैसा कि एक जीवंत लोकतंत्र में होता है।

भारत में लोक सेवकों में भ्रष्टाचार एक ऐसा खतरा बन गया है कि अब यदि कुछ नया नहीं किया गया तो समस्या बहुत गंभीर हो जाएगी और लोकपाल की नियुक्ति कम से कम आंशिक रूप से इस समस्या से निपटने की जरूरत को पूरा करती है। जहाँ एक तरफ लोकपाल के संभावित प्रभाव को लेकर कुछ वर्ग खुश है तो कई दूसरे वर्गों में उदासीनता व्याप्त है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्टर्स:-

भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में राष्ट्रीय स्तर पर अब तीन प्रमुख एक्टर्स हैं: लोकपाल, केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC), और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI)। कुछ लोगों को लोकपाल की स्वतंत्रता पर गलतफहमी है। उन्हें आश्चर्य है कि यह अन्य दो के साथ कैसे काम करेगा ताकि उचित संतुष्टि के साथ भ्रष्टाचार को समाप्त करने का उद्देश्य प्राप्त हो सके। कुछ आलोचकों का आरोप है कि लोकपाल की रचना केवल प्रधानमंत्री के नेतृत्व में स्थापित की गई थी। लेकिन सवाल तो यह है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, जो चयन समिति के एक अन्य महत्वपूर्ण सदस्य है, के बारे में क्या कहना है? जब तक कि कोई व्यक्ति इस संदर्भ में कोई ठोस सबूत नहीं पेश करता है कि पहले लोकपाल के चुनाव में पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्य किया गया है तब तक देश में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण की तटस्थता पर आक्षेप लगाना अस्वीकार्य है।

प्रक्रिया से दूर रहने के लिए 'विशेष आमंत्रित' (special invitee) का निर्णय इस आधार पर है कि वह एक मात्र आमंत्रित व्यक्ति था, जो चयन समिति का पूर्ण सदस्य नहीं है। यदि विपक्ष में कोई व्यक्ति समिति के निर्णय में भाग लेने से परहेज करता है और स्वयं को और राष्ट्र को लोकपाल के सदस्यों और अध्यक्षों को चुनने में अन्य सदस्यों ने कितनी पारदर्शिता अपनाई हैं यह जानने और मूल्यांकन करने का मौका नहीं देता है, तो यह आरोप लगाना कि लोकपाल के चयन की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी, कहीं से उचित नहीं मालूम पड़ता है।

अधिकार क्षेत्र के मुद्दे:-

मेरे (लेखक) दिमाग में, यह चिंता है कि जिस उद्देश्य से लोकपाल की नियुक्ति की गयी है, उसे बनाए रखने में सीवीसी और सीबीआई कितनी अच्छी भूमिका निभाएंगे। लोकपाल के पास समूह ए और बी लोक सेवकों का अधिकार क्षेत्र है। यह सीबीआई को इन दो समूहों पर अपने अधिकार क्षेत्र से वंचित नहीं करता है। लोकपाल अधिनियम, सीबीआई द्वारा कदाचार होने पर, के लिए एक लोक सेवक के खिलाफ शिकायत की जांच करने के लिए अनुमति देता है।

यद्यपि लोकपाल की अपनी पूछताछ विंग है, फिर भी यह प्रारंभिक जांच के लिए सीबीआई को एक शिकायत अग्रेषित कर सकता है, और उसके बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत एक नियमित मामला दर्ज कर सकता है। लेकिन यहाँ यह स्पष्ट नहीं है कि यदि शिकायत पर सीबीआई द्वारा पहले से ही पूछताछ की जा रही है तो क्या होगा।

कानूनी तौर पर, लोकपाल के अलावा, सरकार एक प्रारंभिक जांच का आदेश देने और सीबीआई को एक नियमित मामले में आगे बढ़ने की अनुमति देने के लिए सक्षम है। लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि सीबीआई उन मामलों में भी सरकार की ओर से बिना किसी अुनमति के मामला दर्ज कर सकती है जिसमें एक लोक सेवक को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाता है।

अब सवाल यह है कि यदि कोई व्यक्ति सरकार और लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करता है, तो लोकपाल को क्या करना चाहिए? क्या उसे इस मामले से सीबीआई को दूर रहेने के लिए निर्देश देने का अधिकार है और क्या इस मामले को लोकपाल की अपनी जांच विंग द्वारा संभाले जाने तक प्रतीक्षा करना होगा?

अधिनियम विशेष रूप से लोकपाल के लिए अभियोजन विंग बनाता है। यह निकाय उन दोनों द्वारा संभाले गए मामले के संबंध

में सीबीआई के अभियोजन निदेशक के साथ समन्वय कैसे करेगा? भारत में शिकायतकर्ताओं द्वारा अपनी शिकायतों को वापस ले लेना एक आम बात है। सरकार(जिसका लोकपाल की तुलना में सीबीआई पर संचालन करने शक्तियां अधिक हैं) और लोकपाल के बीच मुद्दों की एक विस्तृत स्पेक्ट्रम पर टकराव होने की संभावना अधिक है।

अधिनियम के अनुसार सीबीआई का संचालन लोकपाल और सरकार द्वारा साझा किया जाता है। क्या लोकपाल सीबीआई को आदेश दे सकता है कि वह किसी शिकायत के संबंध में अपनी जांच स्थगित कर सकती है?

समन्वय के लिहाज से शुरुआती दिन कठिन होने वाले हैं। सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि लोकपाल और सरकार अपने अहंकार को कितनी अच्छी तरह से सँभालते हैं और किसी से प्रभावित हुए बिना भ्रष्टाचार पर प्रहार करने के मूल उद्देश्य पर कितना ध्यान केंद्रित करते हैं।हालांकि, ये सभी चिंताएं, एक उच्च पदस्थ लोकपाल की उपयोगिता को कम नहीं करते हैं।

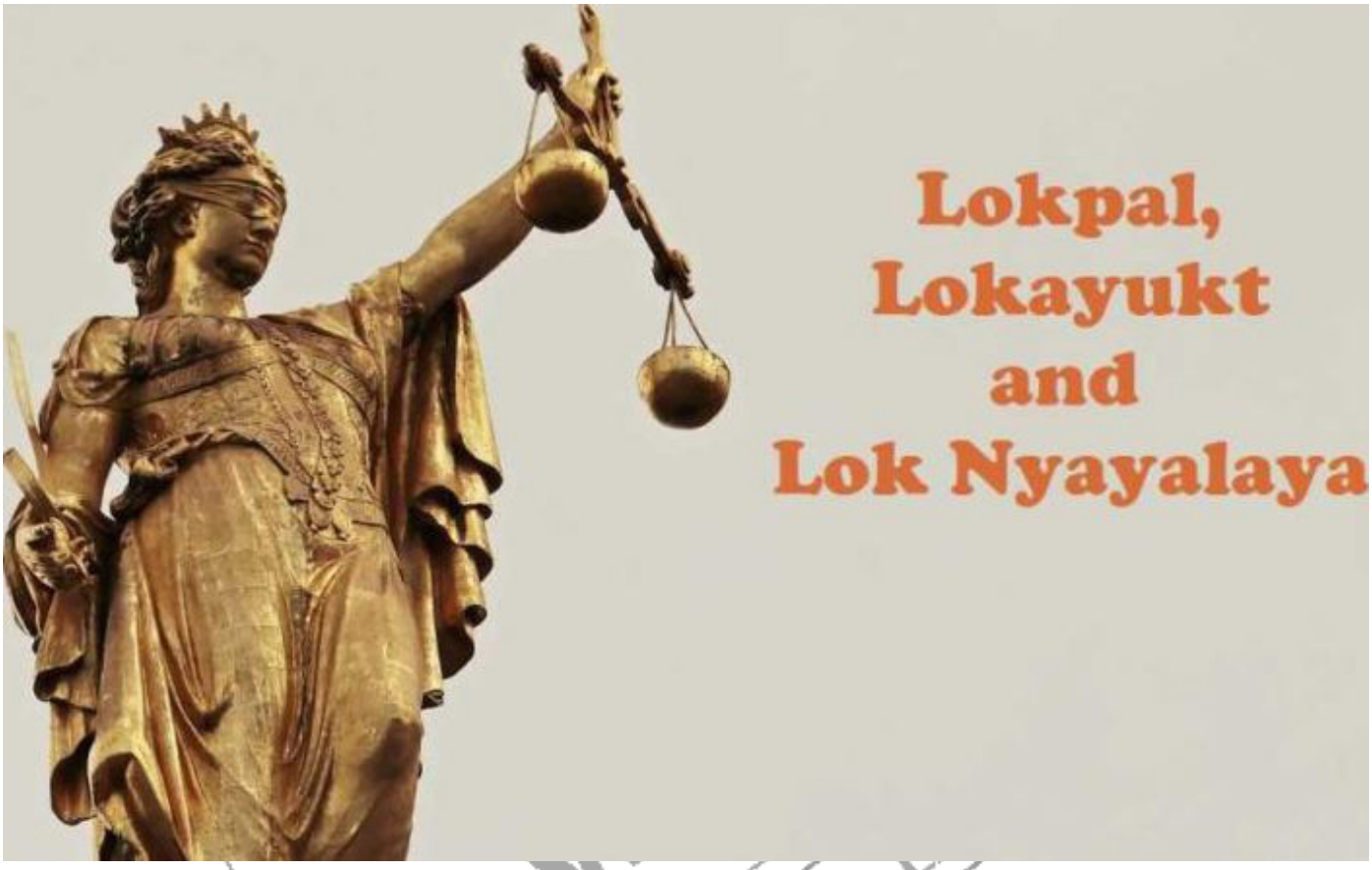

GS World टीम...

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013

चर्चा में क्यों?

- सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस पीसी घोष देश के पहले लोकपाल बन गए हैं. राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से उनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी की गई।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी की चयन समिति ने उनके नाम की सिफारिश की थी।
- समिति के सदस्य और लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बैठक में भाग नहीं लिया था।
- न्यायमूर्ति दिलीप बाबासाहेब भोसले, न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती, न्यायमूर्ति अभिलाषा कुमारी, न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी, दिनेश कुमार जैन, अर्चना रामसुंदरम, महेंद्र सिंह और डॉ. इंद्रजीत प्रसाद गौतम लोकपाल के आठ अन्य सदस्य है।

क्या है?

- भारत के राष्ट्रपति द्वारा 1 जनवरी, 2014 को लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2013 पर हस्ताक्षर करते ही यह विधेयक 'अधिनियम' बन गया।
- इसमें केंद्र स्तर पर लोकपाल और राज्य स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है।
- इस अधिनियम में सार्वजनिक व्यक्तियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच के लिये एक सांविधिक निकाय का गठन किया गया था।

कौन होगा लोकपाल में

- लोकपाल का एक अध्यक्ष होगा, जो या तो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या फिर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज या फिर कोई

महत्वपूर्ण व्यक्ति हो सकता है।

- लोकपाल में अधिकतम आठ सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से आधे न्यायिक पृष्ठभूमि से होने चाहिए।
- इसके अलावा कम से कम आधे सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यकों और महिलाओं में से होने चाहिए।

कौन नहीं हो सकता?

- संसद सदस्य या किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा का सदस्य
- ऐसा व्यक्ति जिसे किसी किस्म के नैतिक भ्रष्टाचार का दोषी पाया गया हो
- ऐसा व्यक्ति, जिसकी उम्र अध्यक्ष या सदस्य का पद ग्रहण करने तक 45 साल न हुई हो।
- किसी पंचायत या निगम का सदस्य।

अन्य मुख्य बिन्दु

- एक अन्य सदस्य कोई प्रख्यात विधिवेत्ता होगा, जिसे इन चार सदस्यों की सिफारिश पर राष्ट्रपति नामित करेंगे।
- लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में लोकसेवकों की सभी श्रेणियाँ होंगी।
- कुछ सुरक्षा उपायों के साथ प्रधानमंत्री को भी इस अधिनियम के दायरे में लाया गया है।
- अधिनियम के अंतर्गत ईमानदार लोकसेवकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
- अधिनियम में भ्रष्ट तरीकों से अर्जित की गई संपत्ति को जब्त करने का भी प्रावधान है, चाहे अभियोजन का मामला लंबित ही क्यों न हो।
- अधिनियम में प्रारंभिक जाँच और ट्रायल के लिये स्पष्ट समय सीमा निर्धारित की गई है। ट्रायल के लिये विशेष अदालतों के गठन का भी प्रावधान है।

सर्च कमेटी के कार्य

- सर्च कमेटी लोकपाल अध्यक्ष और सदस्यों के नामों का पैनल तैयार करके चयन समिति को देती है और चयन समिति उसमें से नियुक्ति के लिए नाम चुनती है।
- चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, नेता विपक्ष और प्रख्यात कानूनविद् होते हैं।
- नियम के मुताबिक लोकपाल अध्यक्ष के लिए सर्च कमेटी पांच नामों का पैनल तैयार करेगी, जबकि आठ सदस्यों जिनमें चार न्यायिक सदस्य और चार प्रशासनिक सदस्यों के लिए सर्च कमेटी 12-12 नामों का पैनल तैयार करेगी।
- नियम के मुताबिक लोकपाल सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान या सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश अथवा असंदिग्ध निष्ठा वाला अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ प्रख्यात व्यक्ति हो सकता है जबकि सदस्यों में न्यायिक सदस्य वर्तमान या सेवानिवृत्त हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश हो सकते हैं।

क्या है लोकपाल का फायदा

- लोकपाल के पास सेना को छोड़कर प्रधानमंत्री से लेकर नीचे चपरासी तक किसी भी जन सेवक (किसी भी स्तर का सरकारी अधिकारी, मंत्री, पंचायत सदस्य आदि) के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत की सुनवाई का अधि कार होगा।
- साथ ही वह इन सभी की संपत्ति भी जब्त कर सकता है। विशेष परिस्थितियों में लोकपाल को किसी आदमी के खिलाफ अदालती ट्रायल चलाने और 2 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने का भी अधिकार होगा।
- इसके दायरे में विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम (एफसीआरए) के संदर्भ में वे कोई/सभी संस्थाएं होंगी, जो विदेशी स्रोतों से 10 लाख रुपये से ज्यादा का दान लेंगी।
- अधिनियम के तहत ईमानदार और सीधे-साधे लोक सेवकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
- अधिनियम लोकपाल को अधीक्षण का अधिकार और विभिन्न मामलों में सीबीआई समेत किसी भी जांच एजेंसी को निर्देशित करने का, चाहे वह लोकपाल ने खुद जांच एजेंसी को ही क्यों न दिया हो, अधिकार प्रदान करता है।
- सीबीआई के निदेशक की सिफारिश उच्च शक्ति समिति द्वारा भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में की जाएगी।
- केंद्रीय सतर्कता आयोग अभियोजन निदेशक, सीबीआई की नियुक्ति की सिफारिश करेंगें।
- लोकपाल द्वारा संदर्भित मामलों की जांच कर रहे सीबीआई अधिकारियों के तबादले के लिए लोकपाल की मंजूरी की जरूरत होगी ।
- अधिनियम में भ्रष्ट तरीकों से अर्जित की गई संपत्ति को जब्त करने का भी प्रावधान है, चाहे अभियोजन का मामला लंबित ही क्यों न हो।
- अधिनियम में प्रारंभिक जांच और ट्रायल के लिए स्पष्ट समय सीमा निर्धारित की गई है। ट्रायल के लिए विशेष अदालतों की स्थापना का भी उल्लेख है।
- इसमें अधिनियम के लागू होने के 365 दिनों के भीतर राज्य विधानमंडल द्वारा कानून के अधिनियमन के जरिए लोकायुक्त संस्था की स्थापना का उल्लेख भी किया गया है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. **'लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013' के सन्दर्भ में कौन-सा/से कथन असत्य है/हैं?**
   (a) इस अधिनियम में केन्द्र स्तर पर लोकपाल और राज्य स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है।
   (b) लोकपाल अधिनियम में आठ सदस्य हो सकते है, जिसमें से आधे से अधिक न्यायिक क्षेत्र से होने चाहिए।
   (c) लोकपाल के पास सेना को छोड़कर सभी के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत सुनने का अधिकार होगा।
   (d) लोकपाल के सदस्यों में महिलाओं को भी शामिल किया है।

2. **'लोकपाल सर्च कमेटी' के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-**
   1. यह लोकपाल अध्यक्ष और सदस्यों के नामों का पैनल तैयार करके चयन समिति को देती है।
   2. चयन समिति में प्रधानमंत्री के साथ लोकसभा के विपक्ष नेता और प्रसिद्ध कानूनविद् होते है।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1 और न ही 2

1. **Which of the following statement is incorrect about the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013?**
   (a) In this law provision has been made to appoint Lokpal at central level and Lokayuta at state level.
   (b) There could be maximum eight members in Lok-pal in which more than half must be from legal background.
   (c) Lokpal will have the right to hear all the cases of corruption except from Army.
   (d) Women are also included in Lokpal.

2. **Consider the following statements regarding Lokpal Search Committee-**
   1. It prepares the panel of names of Lokpal chairman and its members, hands over to the Selection Committee.
   2. Selection Committee consists of Prime Minister leader of opposition of Lok Sabha and famous jurist .

   Which of the following statements is/are correct?
   (a) Only 1 (b) Only 2
   (c) Both 1 and 2 (d) Neither 1 nor 2

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि यह किस प्रकार भ्रष्टाचार को रोकने में प्रभावी होगा।

(250 शब्द)

Q. Discussing the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 explain how it will be effective in curbing corruption in present.

(250Words)

नोट : 3 अप्रैल को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(a) होगा।

629, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi - 110009
Ph. : 011- 27658013, 9868365322